उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या 15 /XXVII (7)/2008
देहरादून : दिनाँक : 20 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार के चालकों के लिए वर्ष में एक बार देय मानदेय हेतु 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन मे विलय।

वित्त अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–119/XXVII(3)/(6) मा. /2005 दिनांक 23 मार्च 2005 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को जोड़कर आँकलित किया जाए। राजकीय वाहन चालक महासंघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 29 फरवरी 2008 में यह इंगित किया गया है कि उक्त शासनादेश में 50% महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय के आगणन के सम्बन्ध मे स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः संशोधन आदेश निर्गत किया जाए।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1710/XXX(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर 2007 के क्रम में यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालकों से भिन्न राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों में कार्यरत वाहन चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को जोड़कर किया जाए।

2– शर्तें कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1710/XXX(2)/2007 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के अनुरूप ही रहेंगी।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्या 15 /XXVII (7)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)
अपर सचिव